

प्रेषक

श्री पृथ्वी नाथ चतुर्वेदी,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 25 फरवरी, 1976 ।

विषय :--पदच्युत तथा सेवा से पृथक् किये जाने के आदेशों को प्रभावी किया जाना ।

महोदय,

कार्मिक
अनुभाग (1)

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी० सी० ए० रूल्स के नियम 49-बी तथा पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स के नियम 1-बी में यह प्राविधान था कि सेवा से पदच्युत अथवा पृथक् किये जाने के आदेशों को निलम्बन की तिथि से प्रभावी किया जाता था । उपर्युक्त नियमों को अधिसूचना दिनांक 9 सितम्बर, 1958 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है । अब यह प्रश्न उठाया गया है कि उपर्युक्त नियमों के निरस्त हो जाने के बाद सेवा से पदच्युत तथा पृथक् किये जाने के आदेश किस तिथि से प्रभावी होंगे । इस सम्बन्ध में शासन को यह सलाह दी गई है कि यह आदेश "तात्कालिक प्रभाव" से प्रभावी होंगे ।

2—पंजाब सरकार बनाम खेमी राम (ए०आई०आर० 1970,एस०सी० 214) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आदेश उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को वह आदेश संबंधित अधिकारी को संसूचित (Communicate) किया जाये । संसूचित किये जाने की तिथि के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यह वही तिथि होगी जिस तिथि को आदेश तामीली के लिये डाक के हवाले कर दिया जाय और सक्षम अधिकारी को उस आदेश में कोई परिवर्तन करने का अधिकार न रह जाये । सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस विचार को दिनांक 6 अक्टूबर, 1975 को निर्णीत पंजाब सरकार बनाम बलवीर सिंह के मामले में दोहराया है । इन निर्णयों के अनुसार यदि संबंधित अधिकारी को आदेश शासन द्वारा संसूचित किया जाना है तो "तात्कालिक प्रभाव" की तिथि वह होगी जिस तिथि को आदेश तामीली के लिये डाक द्वारा भेज दिया जाय । जहां आदेश विभागाध्यक्षों अथवा जिला अधिकारियों द्वारा भेजा जाता है तो तात्कालिक प्रभाव की तिथि वह होगी जिस तिथि को विभागाध्यक्ष या जिला प्राधिकारी द्वारा तामीली के लिये भेज दिया जाय तथा उसके प्राधिकार से बहर हो जाय ।

Search easily on www.bharatbhaskar.com or www.bharatbhaskar.org

3--ऊपर प्रस्तर 2 में स्पष्ट की गई स्थिति उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां अधिकारी/कर्मचारी को नियमित किया गया हो या वह अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो। ऐसे मामलों में जहां अधिकारी/कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है उनमें तात्कालिक प्रभाव की तिथि वह होगी जिस तिथि को सेवा से पदच्युत तथा न्युक् क्रिये जाने का आदेश अधिकारी/कर्मचारी पर तामील हो जाय।

भवदीय,
पृथ्वी नाथ चतुर्वेदी,
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या 7/9/1976 (1)-कामिक-1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
पृथ्वी नाथ चतुर्वेदी,
आयुक्त एवं सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 56 सा० (निवृत्ति)-4391-1976-9,500 (हि०)।

Search easily on www.bhertiyashashanadsh.org